(9)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार असीजा आर.ए.एस.

सीलिंग अपील सं. 33/2015

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राज्य) पीलीबंगा तह0 पीलीबंगा **अपीलांट**

बनाम

1. महावीर पिसरान हरीराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।
2. रूकमा पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।
3. मथरा पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।
4. सरस्वति पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।
5. हेतराम पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।
6. महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तह0 पीलीबंगा।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ दिनांक 19.09.2013 जिसके अंतर्गत हरीराम के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही ड्रॉप की गई को निरस्त करवाने बाबत।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः- 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।
2. श्री प्रदुमन परमार अभिभाषक अप्रार्थीयान।

-:निर्णयः-

दिनांकः 20.07.2021

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधि0 1973 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सीलिंग प्रकरण सुना जाकर निर्णय दिनांक 09.06.76 पारित कर अप्रार्थी की 26 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया। इस दौरान अप्रार्थी हरीराम की तीन पुत्रियों मथरा, मनोहरी व रूकमा पुत्रीयान हरीराम जाति जाट ने एक वाद सिविल न्यायालय हनुमानगढ के यहा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता हरीराम की 84 बीघा जरिये दानपत्र दिनांक 11.04.1972 उन्हे हस्तान्तरित हो चुकी है। सीलिंग प्राधिकारी द्वारा उक्त तथ्य के बिना व अप्रार्थीगण को सुने बिना निर्णय दिनांक 09.06.76 पारित किया, को निरस्त करने का निवेदन किया। मा0 सिविल न्यायालय हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 30.10.85 पारित किया कि सीलिंग अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 09.06.76 तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वादिनी व उसकी बहिन मनोहरी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दे दिया जाता है। राज्य पक्ष की ओर से उक्त आदेश को मा0 अपर जिला न्यायाधीश सं0 02 हनुमानगढ के यहां चुनौती दी गई जिन्होने राज्य सरकार की अपील निर्णय दिनांक 10.8.94 को खारिज फरमाई। मा0 सिविल न्यायालय के निर्णय 30.10.85 के क्रम में उपखण्ड अधिकारी सीलिंग प्राधिकारी ने पुनः सुनवाई कर निर्णय दिनांक 04.12.99 पारित कर अप्रार्थीगण की 76 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिशेष मानते हुए निर्णय पारित किया। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के उक्त निर्णय से असंतुष्ट रेस्पोडेन्ट्स ने श्रीमान कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मा0 जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 20.10.2000 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.1999 अपास्त कर नियमानुसार जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम मे उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 19.09.2013 पारित कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से अपील पेश कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 19.09.2013 जिसके अंतर्गत हरीराम के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रॉप की गई, को निरस्त किया जाने का निवेदन किया है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट्स सं0 01 ता 05 की ओर से श्री प्रदुमन परमार अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट को नहीं सुना गया है। प्रकरण रिमाण्ड होकर आने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने मौके व वस्तु स्थित की जांच किये बिना जांच व रिकार्ड के आधार पर अप्राथी हरीराम सदभावी काश्तकार है या नहीं उक्त तथ्य की जांच नहीं की तथा हरीराम ने सीलिंग नियमों से बचने के लिए तमलीकनामा किया है, उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कानूनी त्रुटि की है। अतः सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 19.09.2013 जिसके अंतर्गत हरीराम के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रॉप की गई, को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के प्रकरण सं0 03/12 अनवानी स्टेट बनाम हरीराम, हेतराम में पारित निर्णय दिनांक 19.09.13 में हस्तान्तरणों को सदभावी मानते हुए सीलिंग कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लिया है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट में हरीराम की कुल 126.07 बीघा भूमि कृषि मानी गई है तथा हरीराम के परिवार की दो यूनिट मानी गई है तथा हरीराम की पुत्रियां मथुरा; मनोहरी, रूकमा देवी को 84 बीघा कृषि भूमि उनके पिता हरीराम द्वारा दिनांक 11.04.1972 को तकलीक (दान पात्र) द्वारा हस्तान्तरण उनके पक्ष में कर मौके पर कब्जा उनको संभला दिया गया तथा लगातार उक्त 84 बीघा उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं सिविल न्यायालय द्वारा भी उक्त तमलीकनामा को सही मानते हुए उनका कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में उनके दानपत्र 84.00 बीघा भूमि सद्भावी अन्तरण है। रेस्पो0 सं0 02 ता 04 के पक्ष में दान पत्र जो दिनांक 11.04.1972 को निष्पादित किये गये थे, उस समय राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण अधिनियम 1973 के पास प्रावधान नहीं हो क्योंकि उक्त दान पत्र अधिनियम के लागू होने से पूर्व निष्पादित किये गये थे। अतः स्टेट की ओर से प्रस्तुत सीलिंग अपील खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपोल प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के प्रथम निर्णय 09.06.76 जिसमें अप्रार्थी की 26.7 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिशेष मानकर निर्णय किया गया था। तत्पश्चात मा0 सिविल न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 30.10.1985 में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय 09.06.76 को निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण मनोहरी देवी, मथुरादेवी, रूकमा देवी के पक्ष में निष्पादित दानपत्र के आधार पर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय करने का निर्देश दिया था। जिसमें क्रम में उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 04.12.99 पारित कर अप्रार्थी को एक यूनिट का हकदार मानते हुए 76 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्णय दिनांक 03.12.2000 पारित कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनाक 4.12.99 को अपास्त कर दिया था। अपीलीय न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय में इस तथ्य का अंकन किया थाा कि सीलिंग प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का प्रथम निर्णय 09.06.76 अंतिम था। उक्त निर्णय के विरूद्ध दोनों पक्षकारों द्वारा कोई अपील नहीं की गयी थी। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय 4.12.99 पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने इस तथ्य की जांच किये बिना कि सीलिंग एक्ट की धारा 6(1) के तहत अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया दानपत्र दिनांक 11.04.72 सदभावी है या नहीं। उक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को रिमाण्ड किया। जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय 03.12.2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय दिनांक 19.09.2013 पारित किया है। निर्णय दिनांक 19.09.2013 अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सीलिंग प्राधिकारी पीलीबंगा ने मनोहरी देवी, मथुरा देवी, रूकमा देवी के पक्ष में निष्पादित दानपत्र की वैधता की समुचित विवेचना सीलिंग एक्ट की

कलक्टर

धारा धारा 6(1) तहत करते हुए उक्त दानपत्र को सदभावी मानते हुए निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत होता है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 6(1) के तहत उक्त दानपत्र सद्भावी माने जाने योग्य होने के कारण अप्रार्थी हरीराम की दिनांक 11.04.1972 को 84.00 बीघा भूमि कम किये जाने पर उसके पास 01.01.1973 को 42.17 बीघा कृषि भूमि शेष रहती है, जो एक यूनिट से भी कम है। घोषणाकर्ता हरीराम के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। पत्रावली विधि परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)